तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अमरनाथ पारीक बनाम विमल कुमार** **जीसीएमएस नम्बर 2021/319**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.06.23	अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र शीघ्र सुनवाई एवं आवेदन बाबत अपील व आवेदन विड्रो करने प्रस्तुत करने पर पत्रावली आज तलब की गई। अधिवक्ता अपीलान्ट व प्रार्थी/अपीलान्ट स्वयं भी उपस्थित। अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि प्रकरण में प्रार्थी/अपीलान्ट व विपक्षी के मध्य राजीनामा हो चुका है जिस कारण से अपील संख्या 93/2013 व प्रार्थना पत्र संख्या 319/2021 आगे चलाना नही चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाया जाकर अपील व बाजदायरी आवेदन को विड्रो करने के आदेश करने की कृपा करें। हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता प्रार्थी/अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया जिससे जाहिर होता है प्रार्थी/अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट के मध्य आपसी राजीनामा हो जाने से प्रार्थी/अपीलान्ट स्वयं ही अपने प्रार्थना पत्र को आगे नही चलाना चाहता है तो अब ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रार्थना पत्र को आगे चलाये रखे जाने का कोई औचित्य भी प्रतीत नही होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी/अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र बाजदायरी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील प्रार्थना पत्र हमफीता अपील रहे। आदेश सुनाया गया। 26/6/23 (अन्तरसिंह नेहरा) संभागीय आयुक्त जयपुर संभागीय आयुक्त जयपुर	